प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर,
2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला एवं कांशीराम जिला संयुक्त चिकित्सालय, जनपद–कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश ।

पत्र संख्या–ए.एन.एच.एम./एस0पी0एम0यू0/07/सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2019–20/ 4732-2 दिनांक 30.08.2019

विषय–दिनांक 24 से 26 जुलाई 2019 तक राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद कानपुर नगर में किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान पायी गयी कमियों के निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय/महोदया,

अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यु0/एन0एच0एम0/2018-19/18/3883-2 दिनांक 30.06.2019 (प्रति संलग्न), के क्रम में दिनांक 24 से 26 जुलाई 2019 के मध्य राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद कानपुर नगर में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं वित्तीय व्यय हेतु विभिन्न स्वास्थ्य इकाईयों पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। भ्रमण के दौरान संज्ञान में आयी कमियों के सुधार हेतु रिपोर्ट संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा पायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुये 07 कार्य दिवसों के अन्दर आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

तद्दिनांक

पत्र संख्या–ए.एन.एच.एम./एस0पी0एम0यू0/07/सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2019–20/

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, कानपुर नगर, उ0प्र0।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, कानपुर मण्डल, उ0प्र0।
3. समस्त महाप्रबंधक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मण्डलीय एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
5. स्टाफ ऑफिसर, अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

Scanned by CamScanner

जनपद–कानपुर नगर की सहयोगात्मक भ्रमण आख्या

(भ्रमण अवधि– दिनांक 24 जुलाई, 2019 से 26 जुलाई, 2019)

राज्य स्तरीय टीम–

मण्डलीय नोडल अधिकारी–सुश्री सुधा यादव, महाप्रबन्धक, मानव संसाधन

सदस्य 1. डा0 हिमांशु आर्य–कन्सलटेन्ट, आयुष

सदस्य 2. सुश्री पूजा देवी, कार्यक्रम समन्वयक, मातृ स्वास्थ्य

सदस्य 3. श्री विकास कुँवर, इन्टरनल ऑडिटर/ऑफिसर ऑडिट, वित्त अनुभाग

दल द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान आच्छादित की गयी इकाइयां/गतिविधियां–

1. कांशीराम जिला संयुक्त चिकित्सालय, कानपुर नगर।
2. एफ0आर0यू0, सी0एच0सी0, कल्याणपुर।
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द बिठूर, कल्याणपुर।
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपकेन्द्र, हाथीपुर, सरसौल।
5. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–कैंट, कानपुर नगर।
6. वी0एच0एन0डी0, हिंगुपर, ब्लाक कानपुर नगर।

मिशन निदेशक महोदय, एन0एच0एम0 उ0प्र0 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय टीम द्वारा दिनांक 24 जुलाई से 26 जुलाई, 2019 के मध्य जनपद कानपुर नगर का भ्रमण कर एल–3, एल–2 व एल–1 स्तर की स्वास्थ्य इकाईयों, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक गतिविधियों का अवलोकन किया गया। श्री विकास कुँवर, इन्टरनल ऑडिटर/ऑफिसर ऑडिट, वित्त अनुभाग राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट में वर्णित लेखा पुस्तकों को संज्ञान में रखते हुए जनपद कानपुर नगर के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, ए०एच०एम० एण्ड डफरिन चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कल्यानपुर के लेखाभिलेखों का (आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए) भी अवलोकन किया गया। भ्रमण आख्या निम्नवत् है–

एफ0आर0यू0, सी0एच0सी0 कल्याणपुर, जनपद –कानपुर नगर

मुख्य अवलोकन बिन्दु	अपेक्षित कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर एवं दायित्व
परिसर में साफ–सफाई ब्यवस्था संतोषजनक पायी गयी।	नियमित रुप से परिसर की साफ–सफाई कराये जाने व रोस्टर प्लान बनाकर नियमित मानीटरिंग करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्साधिकारी/नोडल अधिकारी
प्रसव कक्ष में 07 ट्रे उपलब्ध थी लेकिन मानकानुसार रखरखाव नहीं था। प्रसव कक्ष में डिजीटल घडी उपलब्ध नहीं थी।	7 ट्रे का मानकानुसार संरक्षित करने तथा प्रसव कक्ष में डिजीटल घडी लगवाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
प्रसव कक्ष में रखे हुए कलर कोडेड डस्टबिन यथा स्थान पर नहीं रखा हुआ था एवं प्रोटोकाल पोस्टर चस्पा नहीं है।	यथा स्थान पर रखवाया गया प्रोटोकाल पोस्टर को यथा स्थान पर चस्पा करना।	चिकित्सा अधीक्षक
प्रसव रजिस्टर नियमित रूप से अपडेट नहीं किया जा रहा है तथा केस शीट पूर्णतया नहीं भरी जा रही है।	प्रसव पंजीका तत्काल अपडेट करना।	स्टाफ नर्स एवं चिकित्सा अधीक्षक
ब्लाक स्तरीय सर्पोटिव सुपरविजन प्लान उपलब्ध नहीं था।	सर्पोटिव सुपरविजन प्लान बनाकर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा भ्रमण किये जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
प्रसव उपरान्त महिलाये लगभग 08 घन्टे ही रूक रही है जे0एस0एस0के0 के अनतर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं के अनुसार भोजन पंजिका में लाभार्थी को डिस्चार्ज किये जाने का दिनांक व समय अंकित नहीं किया जा रहा है।	लाभार्थी को 48 घन्टे तक रोकने तथा डिस्चार्ज का दिनांक व समय भोजन पंजिका में अंकित करने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ नर्स एवं चिकित्सा अधीक्षक

Scanned by CamScanner

बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य केन्द्र पर Colour Coded Bins उपलब्ध नहीं थे तथा उपस्थित स्टाफ को वेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी नहीं है।	Colour Coded Bins उपलब्ध कराने तथा अनुबन्धित एजेन्सी द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट सेवाओं को नियमित रूप से प्रदान करने हेतु सुझाव दिया गया। साथ ही समस्त सम्बन्धित स्टाफ को वेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी देने व बायो मेडिकल वेस्ट के समुचित निस्तारण हेतु अभिमुखीकरण कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
कैशबुक एवं पी०एफ०एम०एस० एडवाइस निर्गत रजिस्टर तथा अन्य लेखाभिलेखों का रखरखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में कैशबुक एवं पी०एफ०एम०एस० एडवाइस निर्गत रजिस्टर नहीं बनाया गया है।	भारत सरकार के स्तर से प्रेषित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट के अध्याय 6 आन्तरिक नियन्त्रण में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कैशबुक को दैनिक आधार पर क्लोज किया जाय। ब्लॉक लेखा प्रबन्धक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा 18 दिन में कैशबुक एवं पी0एफ0एम0एस रजिस्टर को बना लिया जायेगा।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक एवं चिकित्सा अधीक्षक
वित्तीय वर्ष 2019–20 से बी०आर०एस० को नहीं बनाया गया है।	**वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को रोकने के लिए बी०आर०एस० को मासिक आधार पर बनाया जाना अनिवार्य है।** ब्लॉक लेखा प्रबन्धक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा 18 दिन में बैंक समाधान विवरण को बना लिया जायेगा।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक एवं चिकित्सा अधीक्षक
वित्तीय वर्ष 2019–20 में टैली ई0आर0पी0–09 पर कोई प्रविष्टी नहीं की गयी थी।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि टैली सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाने के फलस्वरूप प्रविष्टी नहीं हो पाई है। साथ ही उनके द्वारा 15 दिन में प्रविष्टी पूर्ण कर ली जायेगी।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक एवं चिकित्सा अधीक्षक
वित्तीय वर्ष 2012–13 के पश्चात् की आर०के०एस० ऑडिट रिपोर्ट सी0एच.0सी0 पर उपलब्ध नहीं थी।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 तक का ऑडिट पूर्ण हो चूका है परन्तु ऑडिट रिपोर्ट डी0पी0एम0यू0 कार्यालय में रखी गयी है, जिसे आगामी भ्रमण में प्रस्तुत किया जायेगा। आर०के०एस० ऑडिट एक वैधानिक दायित्व है, इसे प्रति वर्ष कराया जाना चाहिए।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक एवं चिकित्सा अधीक्षक
ब्लॉक लेखा प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया है कि रोगी कल्याण समिति का नवीनीकरण हो गया है। इस वित्तीय वर्ष में शासी निकाय व कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित नहीं की गयी है।	शासी निकाय व कार्यकारी समिति की बैठक नियमित अन्तराल पर किया जाना अनिवार्य है।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक एवं चिकित्सा अधीक्षक
बिल/वाउचर्स का रखरखाव उचित प्रकार से नहीं किया गया है। रिकार्ड की जांच करते समय सम्बन्धित लिपिक बिल/वाउचर्स दिखाने में सक्षम नहीं थे।	बिल/वाउचर्स का रखरखाव क्रमवार होना चाहिए।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक एवं चिकित्सा अधीक्षक

Scanned by CamScanner

जे0एस0वाई0 में कतिपय प्रकरण में लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में तीन से चार माह के अन्तराल पर एक से अधिक बार अनियमित भुगतान किया गया है। सम्बंधित लिपिक द्वारा जे0एस0वाई0 फार्म का रख–रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है। जे0एस0वाई फार्म में भुगतान की तिथि अंकित नहीं की जा रही है एवं न ही फार्म सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में भुगतान की जाने वाली एडवाइस का विवरण क्रमबद्ध तरीके से नहीं रखा जा रहा है। जिसके कारण इस प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आयी है।	जे0एस0वाई0 फार्म का रख–रखाव उचित प्रकार से किया जाये तथा डिलीवरी रजिस्टर के सापेक्ष ही भुगतान किया जाये। जे0एस0वाई फार्म में भुगतान की तिथि अंकित की जाए एवं फार्म सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित कराया जाए। इस सम्बन्ध में भुगतान की जाने वाली एडवाइस का विवरण क्रमबद्ध तरीके से रखा जाए। वित्तीय वर्ष 2019–20 में कतिपय प्रकरण में जे0एस0वाई0 लाभार्थियों को दोहरे भुगतान किये गए है, चिकित्सा अधीक्षक, सी0एच0सी कल्याणपुर द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा उपरोक्त प्रकरण में जांच करायी जा रही है। साथ ही हुए अनियमित भुगतान की रिकवरी कराते हुए एन0एच0एम0 खाते में जमा करा दिया जायेगा तथा आगामी भ्रमण के दौरान आख्या प्रस्तुत की जायेगी।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक एवं चिकित्सा अधीक्षक
कैशबुक/बैंकबुक में सम्बन्धित अधिकारियों से दैनिक सत्यापन ससमय नहीं किया गया है।	कैशबुक/बैंकबुक अधिकारियों द्वारा दैनिक सत्यापन किया जाए।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक एवं चिकित्सा अधीक्षक
कय की गयी सामग्रियों की प्रविष्टी स्टॉक रजिस्टर में नहीं की जा रही है।	चिकित्सा अधीक्षक, सी0एच0सी कल्याणपुर द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 15 दिन की अवधि में स्टॉक रजिस्टर की प्रविष्टी पूर्ण करा ली जायेगी।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक एवं चिकित्सा अधीक्षक

वी0एच0एन0डी0 पैगूपुर – हिंगूपुर, जनपद–कानपुर नगर

मुख्य अवलोकन बिन्दु	अपेक्षित कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर एवं दायित्व
वी0एच0एन0डी0 सत्र ऑगनवाड़ी केन्द्र पर आयोजित किया जा रहा था। संविदा ए0एन0एम0 प्रेमलता उपस्थित थी। थर्मामीटर, यूरिन टेस्ट किट एवं ब्लड शुगर टेस्ट किट सत्र स्थल पर उपलब्ध नही था। पोषाहार का वितरण नही किया जा रहा है।	सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने एवं सभी अभिलेख पूर्ण/अद्यतन करने हेतु सुझाव दिया गया।	ब्लॉक स्तर पर– चिकित्सा अधिकारी/ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक/ ब्लाक कम्युनिटी प्रासेस मैनेजर
आशा के पास अपडेट डयु लिस्ट नहीं थी तथा आशा के समस्त रिकार्ड पूरी तरह भरे नहीं थें। वी0एच0आई0आर0 रजिस्ट्रर नहीं भरा जा रहा था।		
गर्भवती/प्रसूती महिला, लक्षित दम्पत्ति सूची, एच0आर0पी0 सूची आदि उपलबध नहीं थी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का अलग से रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।		
कुपोषित बच्चों के परीक्षण के लिये एम0यू0ऐ0सी0 टेप भी उपलब्ध नहीं था, जिससे कुपोषित बच्चों का चिन्हिकरण व बच्चों को एन0आर0सी0 रेफर नहीं किया जा रहा था।		

Scanned by CamScanner

आंगनबाडी केन्द्र बिठूर द्वितीय, नयागंज, कानपुर नगर।

मुख्य अवलोकन बिन्दु	अपेक्षित कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर एवं दायित्व
लक्ष्य के सापेक्ष पूरे दिवस में मात्र 11 बच्चों का ही परीक्षण किया गया था।	परिसर में ही प्रा0 विद्यालय भी संचालित है। उचित होता यदि माइक्रो प्लान में उक्त आंगनवाडी केन्द्र एवं प्रा0 विद्यालय में एक ही दिवस को बच्चों का परीक्षण प्रस्तावित किया जाता।	RBSK टीम एवं DEIC मैनेजर
RBSK टीम में मात्र डा0 श्वेता सिंह (चिकित्सक) तथा अजित यादव (आप्टोमेट्रिशियन) ही उपस्थित थे। डा0 राकेश (चिकित्सक) अनुपस्थित थे। अवगत कराया गया कि डा0 राकेश पूरे दिन टीम के साथ उपस्थित नहीं थे परन्तु सामु0 स्वा0 केन्द्र कल्याणपुर, जनपद –कानपुर नगर के संविदा स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर के निरीक्षण में उक्त दिनांक 24.07.2019 को डा0 राकेश के हस्ताक्षर किये गये थे तथा भ्रमण पंजिका में भी डा0 राकेश के द्वारा दिनांक 24.07.2019 को आंगनवाडी केन्द्र नयागंज हेतु प्रस्थान भी अंकित किया गया था।	RBSK टीम बी के चिकित्सक डा0 राकेश से स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना प्रस्तावित है।	चिकित्सा अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी
RBSK टीम के पास लैपटॉप, डांग्ल, टार्च, डिजिटल वेट मशीन, हाइटोमीटर/मीजरिंग टेप उपलब्ध नहीं था।	सभी आवश्यक उपकरण तत्काल उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक एवं बी0पी0एम0

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–बिठूर, कानपुर नगर।

मुख्य अवलोकन बिन्दु	अपेक्षित कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर एवं दायित्व
परिसर में साफ–सफाई व्यवस्था संतोषजनक पायी गयी।	नियमित रुप से परिसर की साफ–सफाई कराये जाने व रोस्टर प्लान बनाकर नियमित मानीटरिंग करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्साधिकारी/ नोडल अधिकारी
परिसर में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर स्थापित किया जा रहा है। ईडीएल की सूची प्रदर्शित नही थी शिकायत पेटिका तथा फैमली प्लानिंग हेतु कंडोम बॉक्स नहीं लगाया गया था।	यथा स्थान पर रखवाया गया ईडीएल की सूची शिकायत पेटिका तथा फैमली प्लानिंग हेतु कंडोम बॉक्स को यथा स्थान पर लगाना।	चिकित्सा अधीक्षक
प्रसव हेतु बहुत छोटा कक्ष है जो कि मानकानुसार नहीं है। प्रसव कक्ष में डिजीटल घडी उपलब्ध नहीं थी।	लेबर रूम को किसी अन्य कक्ष में स्थापित किया जाना। प्रसव कक्ष में डिजीटल घडी लगाना।	चिकित्सा अधीक्षक एवं बी0पी0एम0
प्रसव एवं अन्य रजिस्टर प्रिन्टेड नहीं थें सादा रजिस्टर पर बनाये जा रहे थे जो प्रसव रजिस्टर के मानकानुसार नहीं है।	समस्त प्रिन्टेड तथा मानकानुसार रजिस्टर बनाये जाने।	चिकित्सा अधीक्षक एवं बी0पी0एम0
निर्मित बायो मेडिकल वेस्ट Collection Shed मानकों के अनुरूप नहीं है। स्वास्थ्य केन्द्र पर Colour Coded Bins उपलब्ध थे परन्तु उपस्थित स्टाफ को वेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी नहीं है।	Colour Coded Bins उपलब्ध कराने तथा समस्त सम्बन्धित स्टाफ को वेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी देने व बायो मेडिकल वेस्ट के समुचित निस्तारण हेतु अभिमुखीकरण कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

Scanned by CamScanner

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–कैंट, कानपुर नगर।

मुख्य अवलोकन बिन्दु	अपेक्षित कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर एवं दायित्व
एच0आर0पी0 रजिस्टर नहीं बना हुआ था	तत्काल बनाये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं स्टाफ नर्स
रोगी कल्याण समिति की शासी निकाय तथा कार्यकारी समिति की नियमित बैठक नहीं की जा रही है। आर0के0एस0 कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नहीं है।	नियमित बैठक कराने तथा रजिस्टर बनाये जाने का सुझाव दिया गया।	अरबन कोआर्डिनेटर/नोडल एन0यू0एच0एम0
महिला आरोग्य समिति के खाते नही खुले हुये हैं।	खाते खुलवाने हेतु सुझाव दिया गया।	अरबन कोआर्डिनेटर/नोडल एन0यू0एच0एम0
नगरीय प्रा0 स्वा0 केन्द्र पर एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स की तैनाती के उपरान्त भी प्रसव नहीं कराये जा रहे है। अवगत कराया गया कि कैन्ट में सैन्य चिकित्सालय होने के कारण प्रसव के केस नही आते है।	Rational Deployment हेतु सुझाव दिया गया।	अरबन कोआर्डिनेटर/नोडल एन0यू0एच0एम0

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपकेन्द्र, हाथीपुर, सरसौल।

मुख्य अवलोकन बिन्दु	अपेक्षित कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर एवं दायित्व
पी0एच0सी0 पर पहले प्रसव कराये जाते थे, परन्तु वर्तमान में कोई स्टाफ नर्स की तैनाती नहीं है, जिससे प्रसव नहीं कराये जा रहे हैं।	स्टाफ नर्स की तैनाती किये जाने	चिकित्सा अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी
लेबर रूम तथा मैटरनिटी वार्ड की स्थिति ठीक है, परन्तु मानव संसाधन की अनुउपलब्धता से प्रसव नही कराये जा पा रहे है।	स्टाफ नर्स की तैनाती किये जाने	चिकित्सा अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी

कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय, कानपुर नगर।

मुख्य अवलोकन बिन्दु	अपेक्षित कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर एवं दायित्व
चिकित्सालय में स्थापित एस0एन0सी0यू0 में एस0सी0 से पानी टपक रहा था, जिसकी वजह से दीवार पर सीलन थी।	तत्काल ए0सी0 ठीक कराने तथा दीवार पर पेंटिंग कराये जाने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
अस्पताल परिसर में ओ0पी0डी0 तथा एन0सी0डी0 क्लीनिक के बाहर मरीजों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है तथा ज्यादातर सीलिंग फैन खराब हैं।	बैठने हेतु व्यवस्था तथा सीलिंग फैन ठीक कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
केस शीट पूर्णतया नहीं भरी जा रही है तथा प्रसव रजिस्टर पर आर0सी0एच0 नम्बर अंकित नहीं किया जा रहा है।	प्रसव रजिस्टर पर आर0सी0एच0 नम्बर का अंकन तथा केसशीट भरी जाना।	चिकित्साधिकारी एवं स्टाफ नर्स
लेबर रूम में 05 नियमित गायनेकोलॉजिस्ट तैनात हैं, परन्तु उनके द्वारा रोस्टर के अनुसार ड्युटी नहीं की जा रही है। डा0 तृप्ति मिश्रा एवं डा0 एस0एस0 गुप्ता ज्यादातर छुट्टी पर ही रहती है।	रोस्टर के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों/स्टाफ नर्स की ड्युटी एवं उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
स्टाफ नर्स की ड्यूटी रोस्टर के अनुसार नही लगायी जा रही है तथा मैट्रेन द्वारा अपने हिसाब से ड्यूटी लगाये जाना।		
चिकित्सालय मे स्थापित एन0सी0डी0 क्लीमिक में फिजियोथेरेपिस्ट की तैनाती की गयी है, परन्तु फिजियोथेरेपी हेतु कोई भी उपकरण उपलब्ध नही है।	आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी।

Scanned by CamScanner

परिसर में साफ–सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में अधीक्षक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि मशीनीकृत साफ सफाई नियमित रूप से की जा रही है परन्तु अनुबन्धित एजेन्सी द्वारा निर्धारित संख्या से कम मानव संसाधन उपलब्ध कराया गया है।	नियमित रुप से परिसर की साफ–सफाई कराये जाने व अधिकारियों द्वारा रोस्टर प्लान बनाकर नियमित मानीटरिंग करने का सुझाव दिया गया। प्रतिदिन मशीनीकृत साफ सफाई हेतु तथा निविदा के अनुसार मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सुपरवाइजर को निर्देशित किया गया साथ ही चिकित्सा अधीक्षक महोदय को निविदा में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मानीटरिंग प्रपत्र में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर ही भुगतान किये जाने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
मेनस्ट्रीमिंग आफ आयुष के अन्तर्गत संयुक्त चिकित्सालय में निर्मित आयुष विंग का प्रयोग दिव्यांग बोर्ड कार्यालय के रूप में किया जा रहा है। आयुष विंग के चिकित्सकों एवं फार्मासिस्ट द्वारा मात्र 02 छोटे कमरों में ही आयुष ओ0पी0डी0 का संचालन किया जा रहा है। जो कार्यक्रम के प्रति घोर उदासीनता का द्योतक है।	आयुष विंग भवन से दिव्यांग बोर्ड परिसर में ही स्थापित नवनिर्मित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तत्काल विस्थापित करते हुये आयुष विंग में राज्य स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप आयुष विंग का संचालन सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
मेनस्ट्रीमिंग आफ आयुष के अन्तर्गत संयुक्त चिकित्सालय में निर्मित आयुष विंग में फर्नीचर इत्यादि हेतु रू0 5.00 लाख की धनराशि से क्रय किये गये, अधिकांश उपकरण (एल0ई0डी0 टी0वी0 आदि) एवं फर्नीचर इत्यादि स्थलीय निरीक्षण में उपलब्ध नही पाये गये।	आयुष विंग में फर्नीचर इत्यादि हेतु रू0 5.00 लाख की धनराशि से क्रय के सम्बन्ध में उपलब्ध अभिलेखों तथा प्रदत्त दिशा–निर्देशों का अवलोकन कर आयुष विंग में तदानुसार आवश्यक उपकरण एवं फर्नीचर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आयुष विंग में संविदा आयुष चिकित्सक डा0 श्वेता यादव निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पायी गयी। जबकि उक्त दिनांक 26.07.2019 को उपस्थिति पंजिका में डा0 श्वेता यादव के हस्ताक्षर किये गये थे।	संविदा आयुष चिकित्सक डा0 श्वेता यादव से स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना प्रस्तावित है।	चिकित्सा अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी

सी0एच0सी0 चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर

जनपद कानपुर नगर के सी0एच0सी0 चौबेपुर के लेखाभिलेखों का (आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए) अवलोकन किया गया। अवलोकित की गयी अभिलेखों के आधार पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनका उल्लेख निम्नवत है:–

	अवलोकन बिन्दु	सुधार/कार्यवाही जो की जानी है
1.	पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट के माध्यम से संज्ञान में आया था कि सी0एच0सी0 चौबेपुर में ब्लॉक लेखा प्रबन्धक द्वारा पी0एफ0एम0एस0 एडवाईज् संख्या C111807251456 दिनांक 12.11.2018 के माध्यम से श्रीमती ज्योति, बैंक खाता संख्या 52260100009364 बड़ोदा, उ0प्र0 ग्रमीण बैंक में रु0 1400 के स्थान पर रु0 14000 का भुगतान कर दिया गया था। उक्त तथ्य से मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर को अवगत करा दिया गया था।	सम्बंधित लिपिक द्वारा जे0एस0वाई0 फार्म का रख–रखाव उचित प्रकार से किया जाये तथा डिलीवरी रजिस्टर के सापेक्ष ही भुगतान किया जाये। **रिकवरी की जाने वाली धनराशि का विवरण** – मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 26.07.2019 को उनके कार्यालय में आहूत हुई समापन बैठक में गलत धनराशि भुगतान की रिकवरी के आदेश दिये गये तथा ब्लॉक लेखा प्रबन्धक को चेतावनी दी गयी की भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियाँ न की जाए।

Scanned by CamScanner

मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, जनपद कानपुर नगर

जनपद कानपुर नगर के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के लेखाभिलेखों का (आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए) अवलोकन किया गया। अवलोकित की गयी अभिलेखों के आधार पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनका उल्लेख निम्नवत है:–

क्रम संख्या	लेखा पुस्तक का नाम	विवरण
1	कैश बुक/बैंक बुक	(A) जनपद कानपुर नगर के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, पर कैशबुक/बैंकबुक को दैनिक आधार पर नहीं बनाया जा रहा है। जबकि **आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट** के अध्याय 6 आन्तरिक नियन्त्रण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कैशबुक को दैनिक आधार पर बन्द कर दिया जाय। (B) कैशबुक/बैंकबुक के दैनिक अवशेष का सत्यापन सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक, तथा मासिक अवशेष का सत्यापन नहीं किया जा रहा है।
3	जर्नल रजिस्टर	समायोजन हेतु मैनुअल जर्नल रजिस्टर भ्रमण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया था।
4	चेक निर्गत रजिस्टर	तैयार किया गया है।
8	फण्ड प्राप्ति रजिस्टर	वित्तीय वर्ष 2019–20 में तैयार नहीं किया गया है। इसे तत्काल तैयार किया जाना अपेक्षित है।
9	डिस्बर्समेंट रजिस्टर	वित्तीय वर्ष 2019–20 में तैयार नहीं किया गया है। इसे तत्काल तैयार किया जाना अपेक्षित है।
10	बैंक पासबुक/स्टेटमेन्ट	बैंक स्टेटमेन्ट मासिक अन्तराल पर बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
11	बैंक समाधान विवरण	वित्तीय वर्ष 2019–20 मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में बैंक समाधान विवरण का कार्यक्रमवार मासिक तैयार नहीं किया जा रहा है। तथा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सत्यापित नहीं किये जा रहे है, जबकि **आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट** के अध्याय 6 आन्तरिक नियन्त्रण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बैंक समाधान विवरण को मासिक आधार पर बनाया जाय। जिसके परिणाम स्वरूप कालातीत चेकों की सही स्थिति का ज्ञान नहीं हो सकता। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विवरण है, जिसका सावधानी पूर्वक मिलान नियमित अन्तराल पर किया जाना चाहिए। तथा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सत्यापित कराना चाहिए।
13	कान्करेन्ट आडिट	कान्करेन्ट आडिट वित्तीय वर्ष 2018–19 की रिपोर्ट राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु कान्करेन्ट आडिटर के नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।
14	स्रोतों पर आयकर की कटौती	त्रैमासिक ई0टी0डी0एस0 रिटर्न फाइल भ्रमण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया था।

ए०एच०एम० एण्ड डफरिन चिकित्सालय, कानपुर नगर

जनपद कानपुर नगर के ए०एच०एम० एण्ड डफरिन चिकित्सालय के लेखाभिलेखों का (आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए) अवलोकन किया गया। अवलोकित की गयी अभिलेखों के आधार पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनका उल्लेख निम्नवत है:–

अवलोकन बिन्दु	सुधार/कार्यवाही जो की जानी है
कैशबुक एवं पी०एफ०एम०एस० एडवाइस निर्गत रजिस्टर तथा अन्य लेखाभिलेखों का रखरखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है। आर०के०एस० कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में चेक इश्यू रजिस्टर नहीं बनाया गया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए नयी कैश बुक को बनाया जाना चाहिए परन्तु डफरिन अस्पताल में दिनांक 30.07.2015 से एक ही कैश बुक बनायीं जा रही है।	भारत सरकार के स्तर से प्रेषित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट के अध्याय 6 आन्तरिक नियन्त्रण में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कैशबुक को दैनिक आधार पर क्लोज किया जाय। गाइडलाइन्स के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु नई कैशबुक/बैंकबुक का प्रयोग किया जाय।

Scanned by CamScanner

वित्तीय वर्ष 2010–11 से बी०आर०एस० को नहीं बनाया गया है।	वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को रोकने के लिए बी०आर०एस० को मासिक आधार पर बनाया जाना अनिवार्य है।
वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 के लिए आर०के०एस० ऑडिट को नहीं कराया गया है।	आर०के०एस० ऑडिट एक वैधानिक दायित्व है, इसे प्रति वर्ष कराया जाना चाहिए।
आर०के०एस० ऑडिट फीस के लिए मैसर्स शशि दिनेश एण्ड कंपनी को फर्जी भुगतान किया गया है। *आर०के०एस० ऑडिट फीस के लिए निम्नलिखित प्रावधान है –* • **प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य ऑडिट कमेटी की दिनांक 28.05.2015 को आहूत की गयी बैठक में आदेशित किया गया था की जनपदीय स्तर की इकाईयों की आर०के०एस० ऑडिट फीस अधिकतम रु 1500.00 होगी।** • आर०के०एस० ऑडिट हेतु मैसर्स शशि दिनेश एण्ड कंपनी को दिनांक 07.12.2015 को आदेश प्रेषित किया गया था, जिसकी डिस्पैच रजिस्टर में इंट्री नहीं की गयी थी। आदेश में दर का उल्लेख नहीं किया गया था। • फर्म द्वारा 2 वर्ष 6 माह बाद दिनांक 06.07.18 को 4 पार्ट में बिल रु 35,400.00 का दिया गया था। कार्यादेश के 2 वर्ष 6 माह बाद रिपोर्ट एवं बिल दिया जाना फर्म द्वारा की गयी लापरवाही का घोतक है। उपरोक्त समस्त क्रय प्रक्रिया संधेहास्पद है। • **उपरोक्त भुगतान बिना कोटेशन को प्राप्त किये किया गया था।** • आर०के०एस० ऑडिट फीस का भुगतान जे०एस०वाई० प्रशसनिक मद से किया गया था जबकि उक्त भुगतान को आर०के०एस० खाते से किया जाना चाहिए था।	**राज्य ऑडिट कमेटी द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना करते हुए किये गए भुगतान की निम्नानुसार रिकवरी किया जाना चाहिए –** 1. भुगतान की गयी धनराशि (जी०एस०टी०/टी०डी०एस० सहित) – रु 35,400.00 2. नियमानुसार भुगतान की जाने वाली धनराशि – रु 7,500.00 (5*1500) 3. **रिकवरी की जाने वाली धनराशि – रु 27,900.00**
जे0एस0वाई0 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में तीन से चार माह के अन्तराल पर एक से अधिक बार अनियमित भुगतान किया गया है। सम्बंधित लिपिक द्वारा जे0एस0वाई0 फार्म का रख–रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण इस प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आयी है।	सम्बंधित लिपिक द्वारा जे0एस0वाई0 फार्म का रख–रखाव उचित प्रकार से किया जाये तथा डिलीवरी रजिस्टर के सापेक्ष ही भुगतान किया जाये। **रिकवरी की जाने वाली धनराशि का विवरण** – वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में प्रकरण में दोहरे भुगतान किये गए है, यदि आधे भुगतान को गलत माना जाये तो रु 49,000.00 (35*1400) की रिकवरी की जानी चाहिए। विस्तृत विवरण संलग्न
बिल/वाउचर्स का रखरखाव उचित प्रकार से नहीं किया गया है। रिकार्ड की जांच करते समय सम्बन्धित लिपिक बिल/वाउचर्स दिखाने में सक्षम नहीं थे।	बिल/वाउचर्स का रखरखाव क्रमवार होना चाहिए।
टेंडर पत्रावली को अनियमित तरीके से तैयार किया जा रहा है – वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में जे0एस0एस0के0 डायग्नोस्टिक एवं सर्जिकल आइटम क्रय करने के लिए किये गए टेंडर में निम्नलिखित कमियां पाई गयी थी • चयनित फर्म से सम्बंधित प्रपत्र को पत्रावली में रखा गया था। जबकि पत्रावली में समस्त फर्मों के तकनीकी प्रपत्र को रखा जाना चाहिए था। • टेक्नीकल मूल्यांकन रिपोर्ट को नहीं लगाया गया था। • तकनीकी एवं वित्तीय निविदा से सम्बंधित तुलनात्मक चार्ट को नहीं बनाया गया था। • मिनटस को भ्रमण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया था।	टेंडर पत्रावली को नियमानुसार तैयार किया जाना अनिवार्य है।

Scanned by CamScanner

कैशबुक/बैंकबुक में सम्बन्धित अधिकारियों से दैनिक सत्यापन ससमय नहीं किया गया है।	कैशबुक/बैंकबुक अधिकारियों द्वारा दैनिक सत्यापन किया जाए।
जे0एस0वाई फार्म में भुगतान की तिथि अंकित नहीं की जा रही है एवं न ही फार्म सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में भुगतान की जाने वाली एडवाइस का विवरण क्रमबद्ध तरीके से नहीं रखा जा रहा है, जो कि अत्यन्त खेदजनक है।	जे0एस0वाई फार्म में भुगतान की तिथि अंकित की जाए एवं फार्म सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित कराया जाए। इस सम्बन्ध में भुगतान की जाने वाली एडवाइस का विवरण क्रमबद्ध तरीके से रखा जाए।

जे0एस0वाई0 लाभार्थियों को किये गए अनियमित भुगतान की रिकवरी किये जाने के सम्बन्ध में :-

जनपद कानपुर नगर की ए०एच०एम० महिला चिकित्सालय में जे0एस0वाई0 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में तीन से चार माह के अन्तराल पर एक से अधिक बार अनियमित भुगतान किया गया है।

JSY Double Payment for the FY 2018-19

Dist-A.H.M. Mahila Chikitsalaya, Kanpur Nagar					
Beneficiary Name	Amount	Date of Payment/Credit	Aadhaar No	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name
MUBINA	1000	18/05/2019		011100100010303	UNITED MERCANTILE CO-OP.BANK LTD(KANPUR)
MUBEENA	1000	30/05/2019		011100100010303	UNITED MERCANTILE CO-OP.BANK LTD(KANPUR)
SONI KASHYAP	1000	03/06/2019	xxxxxxx2399	0253000100455021	PUNJAB NATIONAL BANK
SONY	1000	19/06/2019		0253000100455021	PUNJAB NATIONAL BANK
SADHNA PAL	1000	05/04/2019		058310001378	India Post Payments Bank
SADHANA	1000	05/04/2019		058310001378	India Post Payments Bank
RAJIYA KHATOON	1000	25/06/2019		058310011076	India Post Payments Bank
RAZIYA	1000	25/06/2019		058310011076	India Post Payments Bank
FAZEELA	1000	03/06/2019		16158100000423	BANK OF BARODA
FAZEELA ANJUM	1000	03/06/2019		16158100000423	BANK OF BARODA
SHAHEEN	1000	26/06/2019		16838100000046	BANK OF BARODA
SHAHIN BANO	1000	18/07/2019		16838100000046	BANK OF BARODA
SANA PARVEEN	1000	15/05/2019		20282715075	STATE BANK OF INDIA
SANA	1000	22/05/2019		20282715075	STATE BANK OF INDIA
ANITA	1000	04/05/2019		20334704555	STATE BANK OF INDIA
ANITA DEVI	1000	04/05/2019		20334704555	STATE BANK OF INDIA
RANI	1000	16/05/2019		2340001700046995	PUNJAB NATIONAL BANK
RANI SAVITA	1000	19/06/2019		2340001700046995	PUNJAB NATIONAL BANK
FARHA NAAZ	1000	12/04/2019		30231531037	STATE BANK OF INDIA
FARAH NAAZ	1000	15/07/2019		30231531037	STATE BANK OF INDIA
SHAHNAZ	1000	04/05/2019		36938371021	STATE BANK OF INDIA
SHAH NAAZ	1000	15/05/2019		36938371021	STATE BANK OF INDIA
RUBEENA BANO	1000	22/05/2019		4964101000817	CANARA BANK
RUBEENA	1000	25/06/2019		4964101000817	CANARA BANK
TARA 1400	1400	18/05/2019		52480100004728	BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK
TARA DEVI 1400	1400	22/05/2019		52480100004728	BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK
SHABEENA FATIMA	1000	29/05/2019		52590100002130	BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK
SHABEENA	1000	19/06/2019		52590100002130	BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK
PREETI	1000	21/06/2019		695418210000488	BANK OF INDIA
PRITI	1000	21/06/2019		695418210000488	BANK OF INDIA
PREETI SONI	1000	29/05/2019		732310110003913	BANK OF INDIA
PREETI	1000	03/06/2019		732310110003913	BANK OF INDIA

Scanned by CamScanner

JSY Double Payment for the FY 2019-20

Beneficiary Name	Amount (In Actuals)	Date of Payment/Credit	Aadhaar No	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name
NISHA VERMA	1000	26/02/2019		0254000130139233	PUNJAB NATIONAL BANK
NISHA	1000	26/02/2019		0254000130139233	PUNJAB NATIONAL BANK
RUBY 1400	1400	02/02/2019		058310001811	India Post Payments Bank
RUBY GAO	1400	21/02/2019		058310001811	India Post Payments Bank
RUKSAR	1000	05/05/2018		09551000012870	PUNJAB AND SIND BANK
RUKSAR	1000	19/03/2019		09551000012870	PUNJAB AND SIND BANK
JYOTI VERMA	1000	18/02/2019		155210039102	DENA BANK
PREETI VERMA	1000	21/02/2019		155210039102	DENA BANK
HINA KAUSER	1000	02/02/2019		16158100003100	BANK OF BARODA
HINA KAUSHAR	1000	02/02/2019		16158100003100	BANK OF BARODA
SHAZIA PARVEEN	1000	18/02/2019		16158100008892	BANK OF BARODA
SAZIYA PARVEEN	1000	26/02/2019		16158100008892	BANK OF BARODA
ASIYA KHAN	1000	26/02/2019		20293299243	ALLAHABAD BANK
ASIYA	1000	26/02/2019		20293299243	ALLAHABAD BANK
NAINSHI GUPTA	1000	22/10/2018	xxxxxxx0125	2349000100964022	PUNJAB NATIONAL BANK
NAINSI GUPTA	1000	21/02/2019		2349000100964022	PUNJAB NATIONAL BANK
RUKSANA	1000	18/04/2018		29188100003026	BANK OF BARODA
RUKSANA	1000	18/08/2018		29188100003026	BANK OF BARODA
HUSNA BEGAM	1000	18/02/2019	xxxxxxx3554	302502010518698	UNION BANK OF INDIA
HUSHNA	1000	21/02/2019		302502010518698	UNION BANK OF INDIA
SNEH LATA	1000	05/05/2018		34599738601	STATE BANK OF INDIA
SNEH LATA	1000	11/03/2019		34599738601	STATE BANK OF INDIA
RABIYA	1000	19/09/2018	xxxxxxx7873	34889578465	STATE BANK OF INDIA
RABIA	1000	21/02/2019		34889578465	STATE BANK OF INDIA
MAHANAAZ	1000	18/02/2019	xxxxxxx8869	35119741708	STATE BANK OF INDIA
MAHNAJ	1000	21/02/2019		35119741708	STATE BANK OF INDIA
RINKI KASHYAP	1000	18/04/2018		3659041038	CENTRAL BANK OF INDIA
RINKI KASHYAP	1000	11/03/2019		3659041038	CENTRAL BANK OF INDIA
URVASHI GUPTA	1000	25/02/2019		489302010911705	UNION BANK OF INDIA
URVASHI	1000	26/02/2019		489302010911705	UNION BANK OF INDIA
SANIYA SIDDIQI	1000	18/02/2019	xxxxxxx8068	551702010175540	UNION BANK OF INDIA
SANIYA SIDDIQUE	1000	21/02/2019		551702010175540	UNION BANK OF INDIA
NEELAM	1000	03/04/2019		59032906237	ALLAHABAD BANK
NEELAM SAHU	1000	21/02/2019		59032906237	ALLAHABAD BANK
DEVOSRI ROY	1000	18/02/2019	xxxxxxx2038	59145703466	ALLAHABAD BANK
DEVO SHRI	1000	21/02/2019		59145703466	ALLAHABAD BANK
NANDANI	1000	02/04/2019		732310110006698	BANK OF INDIA
NANDINI	1000	02/04/2019		732310110006698	BANK OF INDIA

Scanned by CamScanner

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद–कानपुर नगर के साथ जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक

मिशन निदेशक महोदय, एन0एच0एम0 उ0प्र0 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय टीम द्वारा द्वारा **उपरोक्त बिंदुओं पर मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद कानपुर नगर से वार्ता की गयी तथा उन्हें भ्रमण के दौरान प्रकाश में आई कमियों/सुधारात्मक कार्यवाही से अवगत कराया गया।** मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद कानपुर नगर द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए दिनांक 26 जुलाई, 2019 को समस्त एम0ओ0आई0सी0, ब्लाक लेखा प्रबंधक, बीपीएम, बी0सी0पी0एम0 की बैठक आहुत की गयी। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमो की मदवार, भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में की गयी, जिसमें जनपदीय नोडल अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला लेखा प्रबन्धक, जिला कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबन्धक के साथ ब्लाक स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से भ्रमण के दौरान प्रकाश में आई कमियों/सुधारात्मक कार्यवाही पर चर्चा की गयी तथा आपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शिलय मैनेजमेंट में दिये गये निर्देशों के अनुसार लेखाभिलेखों को तैयार कराये तथा मैनुअल का जनपद एवं अधिनस्थ इकाईयों द्वारा पूर्णतः पालन किये जाने पर जोर दिया गया। बैठक में चर्चा के मुख्य बिन्दु निम्नवत है –

- बैठक में उपस्थित अधिकारियों के साथ मदवार व्यय विवरण के माध्यम से वर्ष 2019–20 में जनपद को प्राप्त कुल धनराशि की मद वार एवं पूर्व वर्ष की कमिट धनराशि की मद वार व्यय विवरण की अध्यतन स्थिति पर समीक्षा की गयी जिसमें जनपद को वर्ष 2019–20 हेतु विभिन्न कार्यक्रमो में मदवार भुगतान करने हेतु सुनिश्चित किया गया। जनपद को प्रत्येक मदो में प्राप्त धनराशि का भौतिक उपलब्धि के सापेक्ष वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए भौतिक उपलब्धि के सापेक्ष शत–प्रतिशत भुगतान हेतु निर्णय लिया गया।
- समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं ब्लॉक लेखा प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया की उनके स्तर से कमिटेड करायी गयी धनराशि को 15 कार्यदिवसो तक शतप्रतिशत व्यय करना सुनिश्चित करें तथा जिला लेखा प्रबन्धक के साथ प्रत्येक एफ0एम0आर0 कोड के सापेक्ष ब्यय किये जाने के सम्भावित धनराशि का विश्लेषण करते हुए माहवार एक्शन प्लान बनाने हेतु निर्णय लिया गया।
- समस्त अधिक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया की सर्पोटिव सुपर विजन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जाए। भ्रमण के दौरान सम्बन्धित चेक लिस्ट को भरा जाए एवं जो गैप निकले उसमें सुधार किया जाए। भ्रमण पश्चात सभी अधिकारी/कर्मचारी अपना भ्रमण आख्या अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित करें।
- समस्त बी0सी0पी0एम0, को निर्देशित किया गया कि रोगी कल्याण समिति के रजिस्टरो, वी0एच0एस0एन0सी0, का रिकार्ड, अन्टाइड का रिकार्ड/बैठक/कार्यवृत्ति को अपडेट रखेगें तथा नियमानुसार एच0बी0एन0सी0 व वी0एच0एन0डी0 कार्यक्रमो का अनुश्रवण करेगें एवं समस्त ब्लाक लेखा प्रबन्धक अपने समस्त लेखा/वित्तिय रिकार्ड को अपडेट रखेंगे।
- एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0 कल्याणपुर में ऑन कॉल पर एनेस्थेटिस्ट तथा गायनेकोलॉजिस्ट के माध्यम से सिजेरियन प्रसव कराये जा रहे हैं। दिनांक 22.07.2019 को सीता पत्नी रामपाल का सिजेरियन प्रसव कराया गया अगले दिन उसे जिला महिला चिकित्सालय रिफर कर दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गयी। सी0एच0सी0 पर 02 नियमित महिला चिकित्साधिकारी तैनात हैं, परन्तु उनकी रोस्टर के अनुसार डयुटी नहीं लगायी जाती है तथा सिजेरियन के पश्चात मरीज की Postnatal केयर हेतु कोई चिकित्साधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं। जिले स्तर से समुदाय आधारित ऑडिट कराकर एक प्रति राज्य स्तर पर प्रेषित करने हेतु कहा गया।
- समुदाय आधारित गतिविधियों यथा परिवार नियोजन, मातृ–मृत्यु समीक्षा, आशा भुगतान, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, अनटाइड फन्ड एवं प्रधान मंत्री मातृ बंदना योजना की समीक्षा एवं भौतिक उपलब्धि के सापेक्ष शत–प्रतिशत भुगतान हेतु दिशा–निर्देश दिये गये।
- जिला कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबन्धक के साथ जिला कार्यकम प्रबन्धक को निर्देश दिया गया कि निष्क्रिय आशाओं का प्रस्ताव बनाकर जिला स्वास्थ्य समिति में रखते हुए कार्यवाही करायी जाए।

बैठक में निम्नानुसार सुझाव दिये गये–

- ऑकड़ों की नियमित समीक्षा प्रत्येक स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाए। भिन्नता की भी जॉच सुधार करते हुए पोर्टल पर अपलोड कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- भ्रमण की गई स्वास्थ्य इकाईयों के फीडबैक से अवगत कराते हुए सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने का सुझाव दिया गया।

Scanned by CamScanner

- ब्लाक स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों में समस्त जानकारियों से समुदाय स्तरीय कार्यकर्ताओं को अवगत कराते हुए उनका क्षमतावर्धन किया जाये जिससे उपलब्धि बढ़ाई जा सके।
- प्रत्येक माह सामुदायिक कार्यकर्ताओं के कार्यों की समीक्षा की जाये व आगामी माह हेतु उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों के बारे में निर्देशित किया जाय।
- रोगी कल्याण समिति की शासी निकाय एवं कार्यकारी समिति की बैठकें नियमित अन्तराल पर आयोजित नहीं की जा रही हैं। बैठकों का आयोजन नियमित किये जाने का सुझाव दिया गया।
- <u>क्रय प्रक्रिया के लिए निम्नवत दिशा–निर्देशों का पालन किये जाने का सुझाव दिया गया–</u>
    - ❖ रू 20,000.00 तक का क्रय Market Survey के आधार पर किया जा सकता है।
    - ❖ रू 20,000.00 से रू 1,00,000.00 के क्रय के लिये तीन फर्मों की कोटेशन (कम से कम) लेकर जो निम्नतम हो। जानबूझकर बिलों को विभाजित करके कोटेशन प्रक्रिया से न बचें।
    - ❖ रू 1,00,000.00 से ऊपर के क्रय के लिये टेण्डर की प्रक्रिया अपनायी जाये। जानबूझकर बिलों को विभाजित करके टेण्डर प्रक्रिया से न बचें।
    - ❖ यदि किसी सामग्री/उत्पाद के लिए डी0जी0एस0एन0डी0/प्रदेश सरकार से फर्म का रेट अनुबन्ध हुआ है तो उस फर्म से सीधे क्रय किया जा सकता है।
    - ❖ सभी वस्तुओं का क्रय केवल रजिस्टर्ड फर्मों एवं सम्बन्धित वस्तुओं के पंजीकृत डीलरों से ही किया जाय। सम्बन्धित फर्मों से उनका पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया जाय।
    - ❖ सामानों का क्रय उनकी माँग एवं उनके उपयोग की क्षमता का आंकलन करने के पश्चात ही किया जाये।
- **<u>राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की धनराशि का भुगतान विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों/वेन्डर्स के खाते में किये जाने की व्यवस्था है। अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अनियमित रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की धनराशि अपने व्यक्तिगत खाते में हस्तांतरित की जाती है, तो यह गबन/गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आएगा।</u>**
- जिला के सभी पीएचसी/सीएचसी लेखा कर्मियों की निश्चित अन्तराल में बैठक/प्रशिक्षण आयोजित की जानी चाहिए जिससे उनकी व्यवहारिक एवं कर सम्बन्धी सभी समस्याओं को दूर किया जा सके।
- पंजीयन प्रमाणपत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र सम्बन्धित एन0जी0ओ0 एवं आर0के0एस0 से प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।
- कार्यवृत्त रजिस्टर सम्बन्धित बैठकों की कार्यवृत्ति पंजिका नियमित रुप से अद्यावधिक भरा जाय।
- जनरेटर/वाहन लाग बुक नियमित रुप से बनाई जाय एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा ससमय नियमित रुप से प्रमाणित करा कर रखा जाय।
- चेक निर्गत रजिस्टर एवं जे0एस0वाई रजिस्टर निर्धारित प्रारुप में तैयार किया जाय।
- बी0आर0एस0 माहवार तैयार किया जाना चाहिए।
- फण्ड का उपयोग आवश्यकतानुसार करें न कि वर्ष के अन्त में।
- नियमित अन्तराल पर जनपद स्तरीय व्यय भुगतान समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए , जिसमें सी0एच0सी0/पी0एच0सी स्तर के सभी सम्बन्धित कर्मियों को, जो लेखा पुस्तकों के रख–रखाव के लिए मुख्य रुप से जिम्मेदार हैं, बुलाया जाय। उनकी समस्याओं का तत्काल निवारण किया जाना भी अपेक्षित है।

डा0 हिमांशु आर्य कन्सलटेन्ट, आयुष	**सुश्री पूजा देवी, कार्यक्रम समन्वयक, मातृ स्वास्थ्य**	**श्री विकास कुँवर, इन्टरनल ऑडिटर/ऑफिसर ऑडिट, वित्त अनुभाग**

Scanned by CamScanner

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर,
2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला एवं कांशीराम जिला संयुक्त चिकित्सालय, जनपद–कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश ।

पत्र संख्या–ए.एन.एच.एम./एस0पी0एम0यू0/07/सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2019–20/ दिनांक 30.08.2019

विषय–दिनांक 24 से 26 जुलाई 2019 तक राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद कानपुर नगर में किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान पायी गयी कमियों के निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय/महोदया,

अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यु0/एन0एच0एम0/2018-19/18/3883-2 दिनांक 30.06.2019 (प्रति संलग्न), के क्रम में दिनांक 24 से 26 जुलाई 2019 के मध्य राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद कानपुर नगर में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं वित्तीय व्यय हेतु विभिन्न स्वास्थ्य इकाईयों पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। भ्रमण के दौरान संज्ञान में आयी कमियों के सुधार हेतु रिपोर्ट संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा पायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुये 07 कार्य दिवसों के अन्दर आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–ए.एन.एच.एम./एस0पी0एम0यू0/07/सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2019–20/4732-2(5) **तद्दिनांक**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, कानपुर नगर, उ0प्र0।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, कानपुर मण्डल, उ0प्र0।
3. समस्त महाप्रबंधक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मण्डलीय एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
5. स्टाफ ऑफिसर, अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

Scanned by CamScanner